समाहरणालय, अरवल

(जिला प्रोग्राम शाखा)

अरवल जिला अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन से संबंधित

विज्ञापन संख्या– 02/2018

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना के पत्र संख्या आई0सी0डी0एस0/40010/02–2012 **1159** दिनांक **27.03.2017** एवं पत्रांक आई0सी0डी0एस0/40010/02–2016 **2222** दिनांक **25.05.2018** समेकित बाल विकास सेवायें अन्तर्गत ऑगनबाडी सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2016 (ज्ञापांक 990 दिनांक 05.04.2016) में प्राप्त निदेश एवं विभाग द्वारा समय–समय पर संशोधित नियमों के आलोक में अरवल जिले के **बाल विकास परियोजनाआ– अरवल, कलेर, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर** में पूर्व से स्वीकृत पद की रिक्ति/नव–सृजित अतिरिक्त/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में ऑगनबाडी सेविका/सहायिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु संबंधित ऑगनबाडी केन्द्र/पंचायत के वार्ड क्षेत्र के स्थाई महिला निवासी से विहित–प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में विहित प्रपत्र में अनुलग्नक सहित दिनांक – 10.06.2018 से दिनांक 25.06.2018 तक को 5:00 बजे अपराह्न तक हाथो–हाथ स्वीकार किये जायेगें। आवेदन पत्र का नमूना/रिक्त ऑगनबाडी केन्द्रों की सूची एवं सेविका/सहायिका के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण/आम सभा की निर्धारित तिथि एवं समय संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट्ट पर पर देखा जा सकता है एवं उक्त विवरणी एवं आवेदन पत्र अरवल जिले के वेबसाईट www.arwal.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदिकायें पंजीयन संख्या एवं तिथि के साथ प्राप्ति रसीद संबंधित परियोजना कार्यालय से ही प्राप्त करेंगी। प्राप्ति रसीद में संबंधित परियोजना कार्यालय द्वारा अनुलग्नकों के विवरणी की प्रविष्टि की जायेगी। मेद्या सूची का प्रकाशन एवं उसके विरूद्ध दर्ज आपत्ति का निराकरण संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

आवेदन पत्र **A4** साईज के कागज पर विहित प्रपत्र में ही आवेदक द्वारा सुस्पष्ट भरा होना चाहिए। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। संलग्न स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र आँगनबाडी सेविका/सहायिका के चयन हेतु आयोजित ग्राम सभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

विभिन्न स्थानों पर उपलब्धता के अनुसार ग्राम सभा के आयोजन का स्थल सामुदायिक भवन, सरकारी विद्यालय, पंचायत भवन, सरकारी आँगनबाडी केन्द्र या अन्य सरकारी भवन होगा। इसके संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं अरवल जिले के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

परियोजनावार ऑगनबाडी केन्द्रों की रिक्तियां निम्न प्रकार है।

क्र0	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत पदों की संख्या		ऑगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्ति की संख्या		मिनी आंगनबाडी केन्द्र में रिक्ति की संख्या		कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्ति की कुल संख्या (मिनी सहित)	
		सेविका	सहायिका	सेविका	सहायिका	सेविका	सहायिका	सेविका	सहायिका
01	अरवल	60	56	51	38	04	0	55	38
02	कलेर	64	59	59	59	05	0	64	59
03	सोनभद्र वंशी सूर्यपुर	37	34	34	34	03	0	37	34

D:\Programme\Advertisment\AWC Sevika & Sahayika\2018\Final_ Advertisment Sevik Sahayika Selection 20178 ARWAL_KALER_BANSI_UPDATE.doc

(क) **आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु अहर्त्ताएं** :–

1. **उम्रः–** आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के लिए चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को आवेदिका की उम्र **न्यनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष** होनी चाहिए। जिसका मूल प्रामण–पत्र उनके द्वारा आम सभा में उपलब्ध कराया जायेगा।

2. **शैक्षणिक योग्यताः–** आँगनवाड़ी सेविका पद पर चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण(अतिरिक्त विषय को छोड़कर) होगी। समकक्ष योग्यता को उसी स्थिति में मान्यता दी जायेगी, जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो। आवेदिका को अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।

   आँगनवाड़ी सहायिका पद पर चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होगी। आँगनवाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति–अनु0जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग(अल्पसंख्यक सहित) के विधवा उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। इसमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेधा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। ऑगनबाड़ी सहायिका के लिए अन्य अर्हताऐं ऑगनबाड़ी सेविका के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप होगी।

3. **निवासी होने की योग्यताः–** आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप पंचायत के संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।

4. **बाहुल्य वर्गः–** आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका का चयन बाहुल्य वर्ग(सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग जाति समूह) से किया जायेगा। बाहुल्य वर्ग से योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर क्रमानुसार– अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक सहित)/के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।

5. **अयोग्यताः–** सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000.00 रूपया या उससे ज्यादा है/जन प्रतिनिधि/संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता की पत्नी/बहु सेविका/सहायिका के चयन के लिए अयोग्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दंडित किया गया है तो उसे भी सेविका/सहायिका पद के लिए चयन नहीं किया जायेगा।

6. **आवेदन पत्रों की प्राप्तिः–** आवेदिका अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि **(दिनांक – 10.06.18 से दिनांक 25.06.18 तक को 5:00 बजे अपराह्न)** तक संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में हाथों–हाथ जमा कर पावती रसीद प्राप्त कर सकेंगी। आवेदन पत्र का नमूना एवं अन्य विस्तृत जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला के वेबसाईट **www.arwal.bih.nic.in** पर देखा एवं **Download** किया जा

सकता है। अपूर्ण आवेदन–पत्र अथवा निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। चयन सक्षम न्यायालय के निर्णय से प्रभवित होगा।

7. **आम सभाः–** ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आम सभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जाएगी। आम सभा में ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मेधा सूची एवं पैनल तैयार कर अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर नियुक्ति पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा।, जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जाएगी। मेधा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा को मेधा अंक का प्रतिशत में 05 अंक जोड़कर मेधा अंक की गणना की जायेगी। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक उर्त्तीण ऑगनबाडी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो क्रमानुसार अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक सहित)/के उम्मीदवार का चयनित किया जायेगा। चयन के बैठक की कार्रवाई की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एक प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह के उसी दिन तिथि (अवकाश के स्थिति में अगले कार्य दिवस) व समय को वार्ड की आम सभी की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

8. सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया **विभागीय मार्गदर्शिका– 2016, ज्ञापांक– 990 दिनांक 05.04.2016** एवं उसमें किये गये संशोधन प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक आई0सी0डी0एस0/40010/02–2016 **2222** दिनांक **25.05.2018** के अनुसार पूरी की जायेगी।

9. माननीय न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश का पालन करना बाध्यकारी होगा एवं किसी भी समय इस विज्ञापन को रदद्/संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

परियोजनावार ऑगनबाड़ी केन्द्र की रिक्तियॉ/चयन मार्गदर्शिका/आम सभा की निर्धारित तिथि/समय इत्यादि की जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट्ट/अरवल जिले के वेबसाईट www.arwal.bih.nic.in पर देखा एवं Download किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी
अरवल।

D:\Programme\Advertisment\AWC Sevika & Sahayika\2018\Final_ Advertisment Sevik Sahayika Selection 20178 ARWAL_KALER_BANSI_UPDATE.doc

परिशिष्ट—1

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

(आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका–2016)

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ और उस पर नाम या हस्ताक्षर अंकित न करें।

सेवा में,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

....

....

[ध्यातव्यः उपयुक्त रिक्त आयतों को नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से भरें]

01 (i) नाम (हिन्दी में) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(ii) पति का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(iii) पति का व्यवसाय कृषि ☐ व्यवसाय ☐ नौकरी ☐ अन्य ☐

(iii) श्वसुर का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(iv) श्वसुर का व्यवसाय कृषि ☐ व्यवसाय ☐ नौकरी ☐ अन्य ☐

(v) जन्मतिथि (अंकों में) दिन ☐☐ महीना ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

(vii) रिक्ति के प्रकाशन की तिथि .... को उम्र वर्ष ☐☐

(viii) दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

मोबाइल संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

02 (i) मतदाता सूची में परिवार के मुखिया (पति/श्वसुर) का नाम/क्रमांक– ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(ii) मतदाता सूची में आवेदिका का क्रमांक– ☐☐☐

03 स्थायी पता ____________________

____

____________________ पिनकोड ____________________

जिला ____________________ राज्य ____________________

04 शैक्षणिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड	संस्थान/ विद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	उत्तीर्ण होने की श्रेणी	प्राप्तांक पूर्णांक (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर)	प्रतिशत
मैट्रिक						

05 (i) क्या आप भारत के नागरिक है? ☐ 1 –हाँ 2 –नहीं

(ii) क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं? ☐ 1–हाँ, 2– नहीं

(iii) क्या आप किस आरक्षित वर्ग से है? ☐ 1 –हाँ 2 –नहीं

(iv) यदि हाँ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड रिक्त आयत में भरें? ☐

02 – अ0जा0
03 – अ0ज0जा0
04 – अ0पि0व0
05 – पि0व0

06 वैवाहिक स्थिति – ☐ विवाहित ☐ विधवा

07 पति की वार्षिक आय ☐ आय का स्रोत– कृषि ☐ व्यवसाय ☐ नौकरी ☐ अन्य ☐

08 क्या आपको किसी न्यायालय से दण्डित किया गया है अथवा नहीं ? ☐ 1 –हाँ 2–नहीं

09 उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह : ☐

10 महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य का अनुभव (यदि कोई हो तो) : ....

....

....

नोट :– आवेदन के साथ जमा किए गए प्रमाण पत्रों की प्रति (संबंधित पर सही का निशान लगायें)

मैट्रिक/अष्ठम का प्रमाण पत्र ☐ मैट्रिक/अष्ठम का अंक पत्र ☐ आवासीय प्रमाण पत्र ☐

जाति प्रमाण पत्र ☐ विधवा प्रमाण पत्र ☐

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सूचनाएँ सत्य एवं सही है। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान : .... आवेदिका का

दिनांक : .... हस्ताक्षर : हिन्दी में ☐

टिप्पणी – आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें। मूल प्रति वार्ड की आम सभा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

....

(प्राप्ति रसीद)

श्रीमती .... पति का नाम–.. से. ....

पंचायत अन्तर्गत ....आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका/सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में उल्लिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .... है।

दिनांक– प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर,

स्थान– पूरा नाम एवं पदनाम

बिहार सराकर
समाज कल्याण विभाग

संचिका सख्या – ICDS/30010/01-2011- 990 दिनांक : 05/04/2016

प्रेषक,

श्रीमती वन्दना किनी, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय – समेकित बाल विकास सेवायें अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2016 अधिसूचित करने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवायें अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु पूर्व में निर्गत की गई मार्गदर्शिका को विलोपित करते हुए नई मार्गदर्शिका, 2016 अधिसूचित की जाती है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

उक्त मार्गदर्शिका निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी, जिसके अनुरूप आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की कारवाई करने की कृपा की जाय।

अनु.–यथोक्त।

विश्वासभाजन
वन्दना किनी 5/4/2016
(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 990 दिनांक – 05/04/2016
प्रतिलिपि– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन्दना किनी 5/4/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 990 दिनांक – 05/04/2016
प्रतिलिपि– आप्त सचिव माननीय मंत्री समाज कल्याण को सूचनार्थ प्रेषित।

वन्दना किनी 5/4/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 990 दिनांक – 05/04/2016
प्रतिलिपि– सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन्दना किनी 5/4/2016
प्रधान सचिव

Cell

समेकित बाल विकास सेवायें अंतर्गत ऑगनबाड़ी सेविका/ सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2016

ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु पूर्व में निर्गत की गई मार्गदर्शिका को विलोपित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऑगनबाड़ी केन्द्रों के सफल संचालन हेतु नई मार्गदर्शिका निम्न प्रकार से अधिसूचित की जाती है–

1. परिभाषाएँ :– इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में हो अन्यथा अपेक्षित ना हो–

(क) "ऑगनबाड़ी केन्द्र" से अभिप्रेत है आई.सी.डी.एस. अन्तर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन गाँव/टोलों में स्वीकृत ऑगनबाड़ी केन्द्र।

(ख) "ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के ऑगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका/सहायिका के कार्य हेतु चयनित महिला।

(ग) "वार्ड सदस्य/पंच" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित वार्ड सदस्य/पंच।

(घ) "वार्ड की आम सभा" से अभिप्रेत है किसी वार्ड में आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु आहूत बैठक।

(ङ) "कोरम" (Quorum) से अभिप्रेत है :–

(i) वार्ड के आम सभा के संदर्भ में मैपिंग पंजी में दर्ज वयस्क महिला एवं पुरूष की संख्या के कम से कम 10% व्यक्तियों की उपस्थिति।

(ii) चयन समिति के संदर्भ में चयन समिति के सदस्यों में से दो सदस्यों की उपस्थिति लेकिन सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(च) "बाहुल्य वर्ग" से अभिप्रेत है ऑगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु.जनजाति, अनु.जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित), पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) तथा सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)।

(छ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है किसी वार्ड में आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति जिसमें संबंधित वार्ड सदस्य (अध्यक्ष), वार्ड पंच (उपाध्यक्ष) एवं संबंधित महिला पर्यवेक्षिका (सदस्य सचिव) शामिल है।

(ज) "पोषक क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी आंगनवाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र और इसमें मैपिंग पंजी में शामिल परिवारों का ही घर होगा।

(झ) "मैपिंग" से अभिप्रेत है पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचनाओं का सृजन एवं संधारण।

2. मैपिंग– किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र की मैपिंग संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में निम्न वर्णित प्रपत्र में घर–घर जाकर सूचनाओं का सृजन किया जायगा। मैपिंग के क्रम में किसी भी परिस्थिति में वार्ड की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना है।

मैपिंग प्रपत्र दिनांक –

क्र. सं.	ऑंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	संबद्ध गाँव/टोले का नाम/वार्ड संख्या	परिवार के मुखिया का नाम	पिता/पति का नाम	पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची गृह सं0	पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची क्रम सं0	आरक्षण कोटि अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./पि.व./सामान्य (जाति का नाम सहित)	लाभुक परिवार के सदस्यों की संख्या								अभ्युक्ति
								व्यस्क सदस्यों की संख्या		7–18 साल के किशोरों की संख्या		0–3 साल के बच्चों की संख्या		3–6 साल के बच्चों की संख्या		
								पु0	स्त्री	पु0	स्त्री	बालक	बालिका	बालक	बालिका	

वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर महिला पर्यवेक्षिका का नाम एवं हस्ताक्षर

मैपिंग पंजी को अंतिम रूप देने के पूर्व महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा इसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय/वार्ड/पंचायत कार्यालय/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एक सप्ताह तक प्रकाशित किया जायेगा एवं आपत्तियों का निराकरण एक सप्ताह में करने के पश्चात् उसे अंतिम रूप दिया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। मैपिंग पंजी में किसी परिवार के छूट जाने पर महिला पर्यवेक्षिका को जिम्मेवार माना जायेगा जिसके लिए उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

3. सेविका/सहायिका के लिए उम्र– ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी जिसका मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सभा में ही उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित ऑगनबाड़ी सेविका अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगी जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जायेगी।

4. शैक्षणिक योग्यता– ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी।

5. मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता– ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।

6. अयोग्यता– सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12000/– (बारह हजार) रू. या उससे ज्यादा है/जन प्रतिनिधि/संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की पत्नी/बहू सेविका/सहायिका के चयन के लिए अयोग्य होगीं। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दण्डित किया गया हो तो उसे भी ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद के लिए चयनित नहीं किया जायेगा।

7. आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अर्हता– ऑगनबाड़ी सहायिका के लिए न्युनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होगी। आंगनवाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति–अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के विधवा, उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। इसमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेधा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायगा। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अन्य अर्हताऐं आंगनवाड़ी सेविका के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप होगीं।

8. आवेदन पत्रों की प्राप्ति– आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराया जायेगा जिसमें आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा। ऑंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की अर्हताओं एवं वार्ड की आम सभा के स्थान/तिथि/समय का इसमें उल्लेख रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएगें जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है (परिशिष्ट–1)।

साथ ही यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह के उसीदिन तिथि (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) व समय को वार्ड की आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

9. कोरम (Quorum) महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु बुलाई गई आमसभा की पंजी तैयार की जायेगी जिसमें मैपिंक पंजी के कम–से–कम 10 प्रतिशत वयस्कों की उपस्थिति से कोरम निर्धारित होगा।

10. आम सभा– आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आमसभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जायगी। आम सभा में ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मेधा सूची एवं पैनल तैयार कर एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर नियुक्ति पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी। मेधा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा को मेधा अंक का प्रतिशत में पांच (5) अंक जोड़ कर मेधा अंक की गणना की जायेगी। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक

उत्तीर्ण ऑगनबाड़ी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्रमानुसार अनुसूचित जाति–अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। चयन के बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एक प्रति संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

11. प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जाँच–मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के प्रमाण पत्रों की जांच तत्पश्चात 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसके पश्चात ही ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय का भुगतान होगा। यदि जांच के दौरान उनके मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाए गए तो उन्हें चयनमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगी।

12. चयन संबंधी शिकायत पत्र का निष्पादन– महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा चयनित ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के संबंध में कोई भी शिकायत की सूचना प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा जॉच की जायेगी तथा साक्ष्यों के आधार पर अपना जॉच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इसके संबंध में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन दोनों पक्षों की सुनवाई कर सुस्पष्ट एवं मुखर आदेश साक्ष्य सहित पारित करेंगे जिसमें कोई भी गलती पाये जाने पर संबंधितों को इसके लिए जिम्मेवार माना जायेगा।

13. अपील – जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।

14. त्याग–पत्र– ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना पर अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे सकती है जिसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा प्राप्ति तिथि के एक सप्ताह के बाद प्रभावी माना जायेगा। इसके अतिरिक्त त्यागपत्र देने वाली ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

9/5/2016

(वन्दना किनी)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग

(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

पत्रांक :– ICDS/40010/02-2016/ 2222 दिनांक : 25/05/2018

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:- ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2016 में संशोधन/नये प्रावधान के संबंध में।

महाशय,

सरकार द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2016 बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। सेविका/सहायिका के काफी पदों के रिक्त रहने के कारण ऑगनबाड़ी केन्द्रों के क्रियाशील करने में हो रहे बिलम्ब तथा विभिन्न जिलों से मॉगे जा रहे मार्गदर्शन एवं माननीय उच्च न्यायालय/लोकायुक्त बिहार द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुये सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका के निम्नलिखित कंडिकाओं में संशोधन/नये प्रावधान किये जाते है।

कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
4	शैक्षणिक योग्यता- ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी।	शैक्षणिक योग्यता- ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी। कोई भी आवेदिका यदि साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रति देती है तो वह स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिये।
5	मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता- ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।	मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता- ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा। यदि आवेदिका का घर भौतिक रूप से रिक्ति वाले वार्ड में है और वह वहाँ रह रही है, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छुट गया है तो उनका या उनके पति या श्वसुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए।
8	आवेदन पत्रों की प्राप्ति- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराया जायेगा जिसमें आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा। आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की अर्हताओं एवं वार्ड की आम सभा के स्थान/तिथि/समय का इसमें	आवेदन पत्रों की प्राप्ति- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराया जायेगा जिसमें आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा। आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की अर्हताओं एवं वार्ड की आम सभा के स्थान/तिथि/समय का इसमें उल्लेख रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएगें जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा

	उल्लेख रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएगें जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है (परिशिष्ट-1)। साथ ही यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह के उसीदिन तिथि (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) व समय को वार्ड की आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।	रहा है (परिशिष्ट-1)। साथ ही यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह के उसीदिन तिथि (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) व समय को वार्ड की आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। सेविका/सहायिका चयन हेतु यदि चयनसमिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के द्वारा पदासीन रहने के बावजूद आम सभा की पहली तिथि अथवा दूसरी तिथि को बैठक नहीं की जाती है अथवा चयन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा आम सभा का दो बार आयोजन होने के बाद किसी कारण से यदि चयन कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा एक विशेष आम सभा की तिथि निर्धारित की जायेगी, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्वयं अथवा भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा की जायेगी। संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस विशेष आम सभा के लिए उपाध्यक्ष एवं महिला पर्यवेक्षिका सदस्य सचिव होगी।
8 (अ)	नया प्रावधान	यदि किसी केन्द्र की सेविका पद के लिए उसी केन्द्र की सहायिका भी उम्मीदवार हो और यदि वह निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं आयु पात्रता को पुरा करती हो तो मेधा अंक के निर्धारण में 10 अतिरिक्त अंकों का बोनस अंक उन्हें देते हुये मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।
10	आम सभा- आंगनवाड़ी सेविका/ सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आमसभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जायगी। आम सभा में ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मेधा सूची एवं पैनल तैयार कर एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर नियुक्ति पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी। मेधा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा को मेधा अंक का प्रतिशत में पांच (5) अंक जोड़ कर मेधा अंक की गणना की जायेगी। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक उत्तीर्ण आँगनवाड़ी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्रमानुसार अनुसूचित जाति-अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य	आम सभा- आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आमसभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जायगी। जिसकी विडियोग्राफी करायी जायेगी। सेविका/सहायिका के चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से एक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिले के बेवसाईट/बाल विकास परियोजना कार्यालय/प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जायेगा, तत्पश्चात आम सभा में यदि दावा/आपत्ति प्राप्त होती है तो आम सभा में ही उसका निराकरण किया जायेगा। आम सभा में चयन के क्रम में सर्वोच्च मेधा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर चयन पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी। मेधा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा एवं दिव्यांग (जिसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत होनी चाहिए) को मेधा अंक के प्रतिशत में पांच (5) अंक जोड़ कर मेधा अंक की गणना की जायेगी। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक उत्तीर्ण आँगनवाड़ी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो

	वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। चयन के बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एक प्रति संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।	क्रमानुसार अनुसूचित जाति-अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। चयन के बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एक प्रति संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।
11	प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जाँच-मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित आँगनवाड़ी सेविका/ सहायिका के प्रमाण पत्रों की जांच तत्पश्चात 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसके पश्चात ही आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय का भुगतान होगा। यदि जांच के दौरान उनके मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाए गए तो उन्हें चयनमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगी।	प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जाँच-मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित आँगनवाड़ी सेविका/ सहायिका के प्रमाण पत्रों की जांच चयन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। चयनित आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका को प्रशिक्षण में भेजा जायेगा, परन्तु मानदेय का भुगतान प्रमाण पत्रों की जॉच/सत्यापन के पश्चात ही किया जायेगा। यदि 45 दिनों के अंदर संबंधित निर्गत प्राधिकार से प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी स्वयं जाकर अथवा अपने अधीनस्थ नियमित कर्मी को भेज कर सत्यापित करायेगी। मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाये जाने की स्थिति में चयनमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि ऐसे मामलों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से हो जाय। बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षण में भेजी गयी ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को यदि बिना मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के मानदेय का भुगतान किया जाता है तो उसकी पूरी जबावदेही संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।

उपरोक्त के अलावे अन्य कंडिकायें यथावत रहेगें।

उपरोक्त संशोधन/नये प्रावधान चयन हेतु विज्ञापित केन्द्रों को छोड़कर तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- ICDS/40010/02-2016/2222 दिनांक : 25/05/2018

प्रतिलिपि :- सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी महिला पर्यवेक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी वार्ड सदस्य/वार्ड पंच बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,

बाल विकास परियोजना, कार्यालय, अरवल।

(48)

पत्रांकः– 126

प्रेषकः

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
अरवल।

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
अरवल।

अरवल, दिनांक 12.04.18

विषय :– सेविका / सहायिका का चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऑगनबाड़ी सेविका / सहायिका के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के लिए इस कार्यालय के पत्रांक– 238 दिनांक– 28.07.17 द्वारा भवदीय की सेवा में भेजी गई थी। (प्रति – संलग्न) माननीय उच्च न्यालालय के CWJC NO 03 / 2016......... के तहत दस सेविका के वापस आने एवं उनमें से तीन सेविका केन्द्र संख्या– 106, 128 एवं 129 को अपने चयनित वार्ड में योगदान कराने एवं चयनमुक्त सेविका वार्ड सं0– 08 (परासी), वार्ड सं0– 13 (परासी) एवं वार्ड सं0– 15 (सरौती) का मैपिंग कराने के पश्चात् (पत्र संलग्न) पूर्व में भेजी गई विज्ञापन में क्रम सं0– 40, 51 एवं 54 को संशोधित करते हुए भवदीय की सेवा में अनुमोदनार्थ एवं अग्रेतर कारवाई हेतु प्रेषित।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

12/4/18

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
अरवल।

26.4.18

ऑगनबाड़ी मैपिंग का बहुलवर्ग

बाल विकास परियोजना, कार्यालय, अरवल।

क्र0 सं0	ऑगनबाड़ी केन्द्र कोड	ऑगनबाड़ी केन्द्र नाम	वार्ड नं0	पंचायत	वर्ग बाहुलता के अधार पर कोटि	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
1	132	संतावन बिगहा पू0	2	सोनवर्षा	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
2	133	सतपुरा पश्चिम	7	,,	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका
3	134	नेयाज हूशैन बिगहा	8	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
4	135	प्र0ई0 मुसलिम टो0	12	,,	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
5	136	प्र0ई0 कुर्मी टो0	13	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
6	137	प्र0ई0 रविदास टो0 प0	14	,,	अनु0 जाति वर्ग	से0 / सहा0
7	138	सकरी मध्य	2	सकरी	समान्य जाति वर्ग	से0 / सहा0
8	139	हरि0 टो0 सकरी	5	,,	अनु0 जाति वर्ग	से0 / सहा0
9	140	मदन सिंह के टो0	6	,,	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
10	141	हरि0 टो0 बृजलाल वि0	4	फखरपुर	पिछड़ा वर्ग	सेविका
11	142	प0 हरि0 टो0 फखरपुर	6	,,	अनु0 जाति वर्ग	से0 / सहा0
12	143	हसनपुर पश्चिम टो0	10	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
13	144	मदनपुर धावा	12	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
14	145	मुलचन विगहा	14	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
15	146	चमार टोली गदोपुर	15	,,	अनु0 जाति वर्ग	से0 / सहा0
16	147	भुषड़ा यादव पूर्वी	10	वासिलपुर	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
17	148	फेकु विगहा पूर्वी	6	भदासी	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
18	149	चमार टोली भदासी द0	10	,,	अनु0 जाति वर्ग	से0 / सहा0
19	150	भदासी पूर्वी	11	,,	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
20	151	भदासी उ0 पूर्वी टो0	13	,,	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
21	152	डंगराहर उतरी	1	प्यारेचक	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
22	153	डंगराहर पूर्वी	3	,,	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
23	154	प्यारेचक पूर्वी	7	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
24	155	प्यारेचक उतरी	8	,,	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका
25	156	सरवॉ पश्चिम	12	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
26	157	अमरा पश्चिम	2	अमरा	समान्य जाति वर्ग	से0 / सहा0
27	158	अमरा दक्षिणी	3	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
28	159	हसनपुर मल्लाह टो0	8	,,	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका
29	160	पिपरा	12	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
30	161	ताजन विगहा	4	अबगीला	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
31	162	हैबतपुर	5	,,	समान्य जाति वर्ग	से0 / सहा0
32	163	गौरा पश्चिम	8	,,	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
33	164	बैद विगहा	13	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 सेविका
34	165	अबगीला नाई टो0	15	,,	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0

(78)

ऑगनबाड़ी मैपिंग का बहुलवर्ग

बाल विकास परियोजना, कार्यालय, अरवल।

क्र0 सं0	ऑगनबाड़ी केन्द्र कोड	ऑगनबाड़ी केन्द्र नाम	वार्ड नं0	पंचायत	वर्ग बाहुलता के अधार पर कोटि	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
35	166	बिन्द टो0 सरौती	2	सरौती	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
36	167	भुम्हिार टो0 सरौती	3	,,	समान्य जाति वर्ग	से0 / सहा0
37	168	हरिजन टो0 राणापुर	7	,,	अनु0 जाति वर्ग	सेविका
38	169	हरिजन टो0 ढोरहाँ	9	,,	अनु0 जाति वर्ग	से0 / सहा0
39	170	रामपुर चौरम मध्य	11	,,	समान्य जाति वर्ग	से0 मिनी
40	171	बकेया	15	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
41	172	हरि0 टो0 रामपुर वैना	2	रामपुर वैना	अनु0 जाति वर्ग	से0 / सहा0
42	173	रामपुर वैना दक्षिणी	5	,,	अनु0 जाति वर्ग	से0 / सहा0
43	174	गुजरात विगहा	9	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 मिनी
44	175	बहादुरपुर उतरी	10	,,	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका
45	176	सैदपुर टो0 अंजान वि0	12	,,	अनु0 जाति वर्ग	सेविका
46	177	खभैनी पूर्वी	2	खभैनी	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
47	178	खभैनी मध्य	4	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 मिनी
48	179	राजा विगहा	5	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
49	180	गोपाल बिगहा	8	,,	पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
50	181	हरना द0	10	,,	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका
51	182	परासी उ0	13	परासी	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका
52	183	सुमेरा पश्चिम वार्ड–3	3	,,	पिछड़ा वर्ग	सेविका
53	184	मखदुमाबाद उतरी	6	,,	अति पिछड़ा वर्ग	से0 / सहा0
54	185	परासी द0 वार्ड नं0–8	8	,,	पिछड़ा वर्ग	सेविका
55	186	परासी वार्ड नं0–11	11	,,	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका

नोट :– इस परियोजना में 60 केन्द्र स्वीकृत किया गया है। जिसमें 55 वार्ड रिक्त है। शेष 05 हेतू मार्गदर्शन देने की कृपा की जाय।

12/4/18   R.K. 12.4.18

12/4/18

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

अरवल।

समेकित बाल विकास परियोजना, कलेर (अरवल)।

हमारा बिहार

ई-मेल – cdpokaler5@gmail.com

दूरभाष - 9431005204

(82)

पत्रांक 239

दिनांक 18/05/18

प्रेषक,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

कलेर, अरवल।

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

अरवल।

विषय :– नव स्वीकृत आँगनबाडी केन्द्रो पर संशोधित सेविका/सहायिका का चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है। बाल विकास परियोजना कार्यालय कलेर अन्तर्गत नव स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों पर संशोधित सेविका/सहायिका का चयन हेतु मैंपिंग का कार्य पुरा कर लिया है तथा दिनांक– 18/05/2018 तक कोई भी दावा आपत्ति नहीं प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त नव स्वीकृत केन्द्रों का विज्ञापन प्रकाशन करने के लिये विहित प्रपत्र में संलग्न कर श्रीमान को भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

18/5/18

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

कलेर (अरवल)

18/05/18

Scanned by CamScanner

बाल विकास परियोजना कार्यालय कलेर (अरवल)

नवस्वीकृत ऑंगनबाड़ी सेविका /सहायिका चयन का विज्ञापन प्रकाशन करने हेतु विहित प्रपत्र

क्रमांक	कोड सं0	ऑंगनबाडी केन्द्र का नाम	वार्ड सं0	पंचायत का नाम	वर्ग बहुलता के आधार पर कोटी	केन्द्र का प्रकार	रिक्त पद का नाम		आम सभा स्थल
							सेविका	सहायिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	128	सरवरपुर–2	1	बेलसार	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
2	129	सरवरपुर–3	3	बेलसार	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
3	130	गिरवर विगहा	6	बेलसार	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
4	131	अमीर विगहा	8	बेलसार	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
5	132	दिलावरपुर	9	बेलसार	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
6	133	सोहसा	8	सोहसा	अति पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
7	134	उतरी बेलसार	12	बेलसार	समान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
8	135	रजपुरा–1	14	बेलसार	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
9	136	रजपुरा–2	15	बेलसार	अति पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
10	137	मुस्लिम टोला	6	उतरी कलेर	समान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
11	138	पठान टोला	7	उतरी कलेर	समान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
12	139	चमार टोली	9	उतरी कलेर	समान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
13	140	राजपुत टोला	13	उतरी कलेर	समान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
14	141	बंगला कोठी	14	उतरी कलेर	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
15	142	सम्हरिया–2	15	उतरी कलेर	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
16	143	इस्माईलपुर	7	इस्माईलपुर	अति पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
17	144	खुशडीहरा	10	इस्माईलपुर	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
18	145	इस्माईलपुर	8	इस्माईलपुर	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
19	146	कोइल	13	इस्माईलपुर	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
20	147	जमुहारी–3	4	इस्माईलपुर	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
21	148	जमुहारी–2	5	इस्माईलपुर	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
22	149	नाथ खरसा–2	14	इस्माईलपुर	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
23	150	तबकला	3	सकरी खूर्द	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
24	151	सकरी खूर्द–2	5	सकरी खूर्द	अति पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
25	152	नारायण विगहा	9	सकरी खूर्द	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
26	153	मसुदा–2	12	सकरी खुर्द	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
27	154	मसुदा–3	11	सकरी खुर्द	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल

महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना पदा0 का हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना कार्यालय कलेर (अरवल)

नवस्वीकृत ऑगनबाड़ी सेविका /सहायिका चयन का विज्ञापन प्रकाशन करने हेतु विहित प्रपत्र

क्रमांक	कोड सं0	ऑगनबाडी केन्द्र का नाम	वार्ड सं0	पंचायत का नाम	वर्ग बहुलता के आधार पर कोटी	केन्द्र का प्रकार	रिक्त पद का नाम		आम सभा स्थल
							सेविका	सहायिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	155	गुल्ली विगहा	7	सकरी खुर्द	अति पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
29	156	अनु0टोला जयपुर	4	जयपुर	अति पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
30	157	जयपुर–5	5	जयपुर	अति पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
31	158	यादव टोला	7	जयपुर	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
32	159	सवजपुरा–2	8	जयपुर	अति पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
33	160	भूमिहार टोला	9	जयपुर	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
34	161	यादव टोला जयपुर	14	जयपुर	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
35	162	ब्राह्मण टोला	2	जयपुर	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
36	163	बरतर जयपुर	11	जयपुर	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
37	164	हरदिया–3	3	उसरी	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
38	165	उसरी डीह–2	10	उसरी	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
39	166	महतो कुर्मी टोला	11	टेरी	अति पिछडा	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
40	167	कुशवाहा टोला	10	टेरी	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
41	168	परशुरामपुर–2	1	टेरी	अति पिछडा	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
42	169	भूमिहार टोला	3	पहलेजा	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
43	170	पहलेजा–6	6	पहलेजा	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
44	171	चन्द्रवंशी टोला	7	पहलेजा	अति पिछडा	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
45	172	महादलित टोला	8	पहलेजा	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
46	173	महादलित टोला	10	पहलेजा	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
47	174	भूमिहार टोला	5	पहलेजा	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
48	175	मखबुलपुर	1	बलिदाद	अति पिछडा	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
49	176	नट विगहा वलिदाद	4	बलिदाद	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
50	177	वलिदाद	7	बलिदाद	अति पिछडा	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
51	178	चमार टोली	4	सोहसा	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
52	179	सुखदेव विगहा	5	सोहसा	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
53	180	खैरा विगहा–2	11	इंजोर	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
54	181	पुराकोठी–2	2	दक्षिणि कलेर	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
55	182	पहाड़पुर	16	दक्षिणि कलेर	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल

महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर 18/5/18

बाल विकास परियोजना पदा0 का हस्ताक्षर 18/5/18

बाल विकास परियोजना कार्यालय कलेर (अरवल)

नवस्वीकृत आँगनबाड़ी सेविका /सहायिका चयन का विज्ञापन प्रकाशन करने हेतु विहित प्रपत्र

क्रमांक	कोड सं0	आँगनबाडी केन्द्र का नाम	वार्ड सं0	पंचायत का नाम	वर्ग बहुलता के आधार पर कोटी	केन्द्र का प्रकार	रिक्त पद का नाम		आम सभा स्थल
							सेविका	सहायिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	183	कामता–2	13	कामता	अति पिछडा	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
57	184	राजपूत टोला	5	उतरी कलेर	सामान्य	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
58	185	धोबी टोला	11	उतरी कलेर	अनु0 जाति	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
59	186	कुर्मी टोला	12	उतरी कलेर	पिछडा वर्ग	सामान्य	सेविका	सहायिका	सार्वजनिक स्थल
60	187	मलाह टोला वेलॉव	6	वेलॉव	अति पिछडा	मिनी	सेविका	–	सार्वजनिक स्थल
61	188	उसरी–7	7	उसरी	पिछडा वर्ग	मिनी	सेविका	–	सार्वजनिक स्थल
62	189	कामता–4	4	कामता	सामान्य	मिनी	सेविका	–	सार्वजनिक स्थल
63	190	बलिदाद–3	3	बलिदाद	पिछडा वर्ग	मिनी	सेविका	–	सार्वजनिक स्थल
64	191	बेलसार–7	7	बेलसार	पिछडा वर्ग	मिनी	सेविका	–	सार्वजनिक स्थल

महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना पदा0 का हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना कार्यालय, सोनभद्र वंशी सूर्यपुर।

(21)

पत्रांक 58 /

प्रेषक,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
सोनभद्र वंशी सूर्यपुर।

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
अरवल।

अरवल, दिनांक 21-05-18

विषय :– **नव स्वीकृत ऑगनबाडी केन्द्रों पर संशोधित सेविका/सहायिका का चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय सोनभंद्र वंशी सूर्यपुर अन्तर्गत नव स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों पर सेविका/सहायिका के चयन हेतु मैंपिग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा प्राप्त दावा एवं आपत्ति का निराकरण महिला पर्यवेक्षिका द्वारा करा लिया गया है।

अतः उक्त नव स्वीकृत केन्द्रों का विज्ञापन प्रकाशन करने के लिये विहित प्रपत्र में संलग्न कर श्रीमान् के सेवा में भेजी जा रही है।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/5/18

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
सोनभद्र वंशी सूर्यपुर।

Scanned by CamScanner

कार्यालय बाल विकास परियोजना सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, अरवल।

आँगनबाड़ी मैपिंग का बाहुलवर्ग

क्र.सं.	पंचायत	केन्द्र कोड संख्या	आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम	वार्ड संख्या	वर्ग वाहुलता के आधार पर कोटी	रिक्त पद	अभियुक्ति
1	बलोरा	63	बलौरा–2	1	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
2		64	बलौरा–3	2	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	मिनी केन्द्र
3		65	कोनी–2	5	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
4		66	सेनारी टोला	10	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
		67	कुरमावाँ–2	12	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	
6	खड़ासीन	68	खड़ासीन	4	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	मिनी केन्द्र
7		69	देवी विगहा कोलनीपर खड़ासीन	5	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
8		70	सकुन विगहा	8	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	
9		71	जिंदापुर–2	10	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
10		72	एकरौंजा–2	13	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
11	माली	73	मंगा विगहा–2	3	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
12		74	रामगढ़–2	6	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
13		75	माली–3	8	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	
14		76	माली साहपुर माली	11	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
15		77	कुर्मी विगहा	12	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
16		78	तुर्कतेलपा–3	13	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	
17	शेरपुर	79	शेरपुर–3	5	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
18		80	करवाँबलराम–2	8	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	मिनी केन्द्र
19		81	मखमीलपुर–2	10	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	
20	अणुआँ	82	अनुआँ–3	1	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
21		83	कस्तुरीपुर	4	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
22		84	धरनई–2	5	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
23		85	दनियाला पश्चिम	12	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
24	सोनभद्र	86	सोनभद्र–3	3	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
25		87	सोनभद्र मठिया	4	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
26		88	किशुनपुर	9	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	
27		89	शादीपुर–3	12	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
28		90	मोगलापुर–2	13	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	
29	चमण्डी	91	चमंडी	1	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
30		92	झरी विगहा	4	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
31		93	धरमपुर–2	5	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
32		94	पोंदिल–2	8	अति पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
33		95	कुतुबपुर–2	9	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
34	खटांगी	96	देवी विगहा	5	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
35		97	खटागी महादेव विगहा	8	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	
36		98	हरिजन टोला	11	अनु0 जाति	सेविका एवं सहायिका	
37		99	गोनुपुरा–2	14	पिछड़ा वर्ग	सेविका एवं सहायिका	

Seen
Vrmm 11/5/18

KA Vanshi 11.5.18
महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर